मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जल संरक्षण एवं जल सम्वर्द्धन मिशन की दिनांक 27.08.2008 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

सचिव पेयजल, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मुख्य सचिव महोदय एवं राज्य स्तरीय जल सम्वर्द्धन मिशन के उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों का स्वागत कर एवं पेयजल श्रोतों के संरक्षण एवं सम्वर्द्धन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय जल सम्वर्द्धन मिशन के क्रियाकलापों एवं मिशन से की गई अपेक्षाओं का विवरण मुख्य सचिव महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं अद्यतन प्रगति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान से की गयी।

1. अद्यतन प्रगति :–

मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान द्वारा वर्ष 2005 एवं उससे पूर्व के सूख रहे श्रोतों में से वर्ष 2007–08 में 75 प्रतिशत से अधिक श्राव में कमी वाले 221 श्रोतों पर जल सम्वर्द्धन मिशन की बैठकों में लिए गए निर्णय के क्रम में अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया जिसमें 221 श्रोतों में से 26 श्रोतों पर जलागम परियोजना एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रुप से कार्य प्रारम्भ करने की सूचना दी गयी। वन विभाग द्वारा 221 पेयजल श्रोतों में से 219 श्रोतों पर कार्य योजना पूर्ण रुप से तैयार कर 68 पेयजल योजनाओं के श्रोतों पर वर्ष 2007–08 में कार्य प्रारम्भ करने की सूचना से अवगत कराया गया। वर्ष 2008–09 में 35 योजनाओं के श्रोतों पर वन विभाग द्वारा विभागीय बजट में कार्य प्रारम्भ किए जाने प्रस्तावित हैं तथा वन विभाग द्वारा 116 योजनाओं के श्रोतों पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की स्थिति से अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा अपेक्षा की गयी कि जल सम्वर्द्धन मिशन की चयनित पेयजल योजनाओं पर किस प्रकार एवं किस तकनीक से कार्य किया जा रहा है, की स्थिति से अवगत कराया जाये।

इस सम्बन्ध में उपनिदेशक, जलागम द्वारा चयनित परियोजनओं में अपनायी जा रही तकनीक की विस्तृत जानकारी दी गयी एवं मुख्य रुप से निम्नानुसार कार्य करने की तकनीकी का विवरण दिया गया।

1. Forestation
2. Soil Conservation
3. Physical & Mechanical Treatment
4. Water Bodies Augmentation (e.g. Rain Water Harvesting, Roof Top Water Harvesting, Chal-Khal etc.)

वन विभाग द्वारा जलागम की भांति अपनायी जा रही तकनीक को ही वन विभाग में अपनाये जाने से अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जल सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनका समय–समय पर भौतिक रुप से मूल्यांकन किया जाये तथा उसकी प्रगति से अवगत करया जाये।

उपनिदेशक, जलागम द्वारा अवगत कराया गया कि उनके प्रोजेक्ट में यह व्यवस्था है कि जल सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का सामयिक मूल्यांकन हो। इसके क्रम में मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान द्वारा जल श्रोतों के प्रतिवर्ष जल श्राव का मापन किए जाने की व्यवस्था से अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि अभी तक ग्रीष्म ऋतु में ही जल श्रोतों का जल श्राव मापन किया जाता था। जल सम्वर्द्धन मिशन पर कराये गये कार्यों में जल श्रोतों में ग्रीष्म ऋतु एवं शीत ऋतु में श्राव मापन की समीक्षा करने के साथ–साथ जलागम से भी अपेक्षा की गयी कि वे Seasonal Shift Measurements की व्यवस्था कर प्रगति से अवगत करायें।

वन विभाग द्वारा जल सम्वर्द्धन मिशन के कार्यों की वित्त व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में अवगत कराया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जानकारी चाही गयी कि इन परियोजनाओं को विश्व बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत जलागम से कराये जाने में क्या कठिनाई है, जिस पर जलागम व वन विभाग द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया तथा Reserve Forest क्षेत्र में कार्यों को करने में आ रही कठिनाई की जानकारी दी गयी तथा यह अवगत कराया गया कि जलागम परियोजना का कार्य पंचायतों के माध्यम से ही कराया जा सकता है एवं विश्व बैंक से प्राप्त धनराशि को सीधे वन विभाग को उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जल सम्वर्द्धन मिशन की भविष्य में तैयार की जाने वाली परियोजनाओं में वर्तमान में कराये जा रहे कार्यों में आने वाली कठिनाईयों का समाधान करते हुए जल सम्वर्द्धन के कार्यों को समावेशित कर Built in Project तैयार किए जायें। राज्य में वित्त के इतने संसाधन उपलब्ध नहीं है कि जल सम्वर्द्धन मिशन की सम्पूर्ण परियोजनाओं पर एक साथ कार्य कराया जा सके। यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं गयी तो 221 श्रोतों की परियोजनाओं भी समय पर पूर्ण नहीं हो पायेगी।

सचिव पेयजल व जलागम द्वारा अवगत कराया गया कि जलागम परियोजना के Mid Term Review के कार्य विश्व बैंक मिशन द्वारा माह नवम्बर 2008 में किये जायेंगे। यह बिन्दु तत्समय विश्व बैंक के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा एवं प्रयास किया जायेगा कि यह परियोजना जलागम के माध्यम से विश्व बैंक पोषित की जा सके।

सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि को इस कार्य में प्रयोग किए जाने के लिए विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कार्य जिला स्तर पर क्रियान्वित हो रहा है। जिला योजना अथवा राज्य योजना के अन्तर्गत डब टेलिंग करते हुए कार्य योजना प्रस्तुत करें ताकि इन कार्यों का समुचित रुप से क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जा सके।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्तानुसार 221 योजनाओं के क्रियान्वयन की समय सारिणी निर्धारित हो एवं इस कार्य को समय पर पूर्ण किए जाने के लिए सुनिश्चितता बनाई जाये।

सिंचाई विभाग द्वारा जल सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत अल्मोड़ा जिले की 03 परियोजनायें, हरिद्वार जिले की 03 परियोजनायें, देहरादून जिले की 05 परियोजनायें तथा पौड़ी जिले की 03 परियोजनायें की लागत सहित जानकारी दी गयी एवं वित्त व्यवस्था का अनुरोध किया गया। मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कार्य विभागीय बजट के अन्तर्गत सम्पन्न कराये जायें।

2. प्रस्तावित कार्य :–

जल सम्वर्द्धन मिशन के द्वितीय चरण हेतु 500 श्रोतों की जनपदवार चयनित योजनाओं की संख्या जल संस्थान द्वारा बैठक में उपलब्ध कराई गयी। जलागम एवं वन विभाग द्वारा इन श्रोतों की सूची उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया एव अपेक्षा की गयी कि इनकी GPS Reading भी उपलब्ध कराई जाए ताकि इनकी GIS Mapping की जा सके।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जल श्रोतों की सूची जिला जल सम्वर्द्धन मिशन एवं राज्य जल सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत जलागम एवं वन विभाग को उपलब्ध कराई जाये तथा इन जल श्रोतों की Mapping इत्यादि की सूचनाओं का कार्य भी जिला जल सम्वर्द्धन मिशन से कराया जाये क्योंकि उसमें सभी सदस्य सम्मिलित होंगे एवं Mapping का कार्य भी सरलीकृत हो जायेगा। फलस्वरुप संयुक्त रुप से जलागम, वन विभाग, जल संस्थान, जल निगम, स्वजल एवं अन्य विभाग कार्य योजना तैयार कर सकेंगे एवं Mapping का कार्य भी सरलीकृत हो जायेगा। वन विभाग व जलागम GPS के Coordinate जिला स्तर पर ही तैयार कर प्राप्त किये जायें।

जल संस्थान द्वारा Bhaba Atomic Research Centre द्वारा Isotope Study के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से अवगत कराया गया एवं अनुरोध किया गया कि Isotope विधि से जल सम्वर्द्धन के कार्यों में प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया जा सकता है।

3. RAIN WATER HARVESTING :–

सचिव पेयजल द्वारा Rain Water Harvesting पर किए जा रहे कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया एवं इस सम्बन्ध में किए गए विभिन्न शासनादेशों की जानकारी से अवगत कराया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिए गए।

1. राजकीय समस्त भवनों पर Rain Water Harvesting को अनिवार्य किया जाये, विशेषकर जहां पेयजल की मांग अधिक है व जो परियोजनायें निर्माणाधीन अथवा प्रस्तावित हैं उनमें Rain Water Harvesting की व्यवस्था निश्चित रुप से की जाये। उदाहरण स्वरुप पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के निर्माणाधीन /प्रस्तावित भवन पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है।

2. जिलाधिकारियों से निर्माणाधीन, प्रस्तावित परियोजनाओं में Rain Water Harvesting की व्यवस्था कराये जाने के निर्देश दिये गये तथा जिलों से बृहत भवन निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त की जाये।
3. पुराने भवनों जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेज हॉस्टल, टूरिस्ट बंगलॉ या इस प्रकार के भवन जहां पेयजल की मांग अधिक है की सूची प्राप्त कर प्रथम चरण में Rain Water Harvesting के कार्यों का क्रियान्वयन जिला स्तर पर किया जाये।
4. प्रत्येक 15 दिन में जल सम्वर्द्धन मिशन के अन्तर्गत जिले की प्रस्तावित, निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं Rain Water Harvesting के कार्यों की प्रगति समीक्षा करें एवं मासिक रुप से राज्य स्तर पर इसकी समीक्षा की जाये।

अन्त में सचिव पेयजल द्वारा मुख्य सचिव महोदय का मार्गदर्शन देने के लिए आभार व्यक्त किया गया।

(एम0एच0 खान)
सचिव, पेयजल

पृष्ठांकन संख्या: 248/ए.पी.एस./प्र.जे.प्र./08 दिनांक: 08 सितम्बर, 2008

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, जलागम, लघुसिंचाई एवं कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम विकास परियोजना, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
11. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
12. विभागाध्यक्ष एवं मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, देहरादून।
13. उद्यान निदेशक, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक स्वजल परियोजना, देहरादून।

सचिव, पेजयल